बच्चों के बारे में तथ्य

शिक्षा का अधिकार

भूमिका

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आर टी ई) अधिनियम 2009 को ऐतिहासिक रूप से पारित किया जाना भारत के बच्चों के लिये एक ऐतिहासिक मौका बन गया। भारत के इतिहास में पहली बार, बच्चों को परिवारों और समुदायों की मदद से सरकार के द्वारा उत्तम गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। दुनिया में कुछ ही देशों में बाल केंद्रित, बाल हितैषी शिक्षा के लिए ऐसे राष्ट्रीय प्रावधान किये गए हैं ताकि सभी बच्चों का पूरी क्षमता के साथ विकास हो सके। एक अनुमान के अनुसार 2009 में भारत में 14 साल उम्र के 80 हजार छह बच्चे स्कूल से वंचित थे। हमारा विश्व भारत को साथ लिये बगैर 2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता।

भारत में पिछले कुछ दशकों में शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत के ''एडुकेशन फॉर ऑल मिड डिकेड एसेसमेंट'' के अनुसार, 2000 और 2005 के बीच सिर्फ पांच साल में, भारत में प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के लिये कुल नामांकन में 13.7 प्रतिशत की और लड़कियों के लिए नामांकन में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस वृद्धि की बदौलत भारत पहली कक्षा में

सार्वभौमिक नामांकन के करीब पहुंच गया है। लेकिन इन सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत में 2005 में चार में से एक बच्चे ने पांचवी कक्षा तक पहुँचने से पहले ही और 50 प्रतिशत बच्चों ने आठवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले स्कूल छोड़ दिया। बच्चों में सीखने के बारे में किये गये आकलन से पता चलता है कि स्कूल नहीं छोड़ने वाले बच्चे भी बुनियादी साक्षरता और गणना संख्या संबंधी मूल जानकारियों तथा उनके समग्र विकास के लिए जरूरी अतिरिक्त कौशल को नहीं सीख रहे हैं।

मुख्य तथ्य

स्कूल से वंचित बच्चे : स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या 2003 में ढाई करोड़ से घटकर 2009 के मध्य में 81 लाख रह गयी। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बिहार, झारखंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में देखा गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे अत्यधिक आबादी वाले राज्यों में स्कूल से वंचित बच्चों का प्रतिशत अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।

पहुंच : देश में 99 प्रतिशत बस्तियों में एक किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक स्कूल होने और 92 प्रतिशत बस्तियों में तीन किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक स्कूल होने से बच्चों की स्कूलों तक पहुंच में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुंच और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन हालांकि अच्छा है लेकिन उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुंच और उनकी भागीदारी अब भी चुनौतीपूर्ण है।

सामाजिक समग्रता : सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के बच्चों के स्कूलों में दाखिला लेने के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों में 2008–2009 में 19.7 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों में 11 फीसदी दाखिला हुआ।

यह प्रतिशत पूरी आबादी में उनके हिस्से (अनुसूचित जातियों के लिए 16.2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.2 प्रतिशत)से भी अधिक है। हालांकि उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का अनुपात बहुत कम है, जो यह दर्शाता है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के स्कूल से बाहर निकलने की आशंका ज्यादा होती है। मुस्लिम बच्चों में से 23.4 प्रतिशत बच्चे स्कूल से वंचित हैं।

स्वच्छता : पूरे भारत में 100 में से 84 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के लगभग आधे स्कूलों में इसकी सुविधा नहीं है। भारत में 100 में से 65 स्कूलों में साझा शौचालय है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में चार में से सिर्फ एक स्कूल में यह सुविधा है। 100 में से 54 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है। असम, मेघालय और मणिपुर में औसतन नौ में से सिर्फ एक स्कूल में और बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और उड़ीसा में चार में से एक स्कूल में एक अलग शौचालय है।

प्रमुख मुद्दे :

शिक्षा अधिकार अधिनियम एक अप्रैल से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के आदर्श नियमों के मसौदे को राज्यों के बीच वितरित कर दिया गया है और राज्यों को अपने राज्य नियम बनाकर यथाशीघ्र इन्हें अधिसूचित करने होंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम बाल मजदूरों, विस्थपित बच्चों, विशेष गैर लाभाविन्त समूहों, या ''सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, भाषायी, लैंगिक या ऐसे ही अन्य कारकों से वंचितों'' तक पहुंचने का एक परिपक्व मंच प्रदान करेगा। आरटीई शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे निरंतर प्रयासों और काफी तेजी से सुधार की आवश्यकता है।

अगले पांच साल में 10 लाख से अधिक नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने तथा मौजूदा शिक्षकों में कौशल वृद्धि करने के लिये सृजनात्मक एवं सतत पहल जरूरी है ताकि बच्चों के लिये उनके अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित हो सके। स्कूलों से वंचित 80 लाख बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं मे लाना, उन्हें स्कूलों में बने रखने के लिये सहायता देना तथा इसमें सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। भारी असमानता को खत्म करने के गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। मिसाल के तौर पर पूर्व स्कूल के क्षेत्र में निवेश करना महत्वपूर्ण रणनीति है।

भारत में करीब 19 करोड़ उन लड़कियों और लड़कों में से हर बच्चे के लिए अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित करने में परिवारों और समुदायों की भी एक बड़ी भूमिका है जिन्हें आज प्राथमिक विद्यालय में होने चाहिए थे। किसी भी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति (एमएससी) स्थानीय अधिकारियों, माता–पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मिलाकर बनायी जायेगी। प्रबंधन समिति ही स्कूल

विकास योजनायें चलायेगी और सरकार से मिले अनुदानों के इस्तेमाल तथा स्कूल के पूरे वातावरण पर निगरानी रखेगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत् स्कूल प्रबंधन समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाओं तथा वंचित समूहों के बच्चों के माता–पिता होंगे। ऐसे समुदाय की भागीदारी स्कूल में बाल हितैषी वातावरण के अलावा लड़कों एवं लड़कियों के लिये पृथक शौचालय, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता तथा साफ–सफाई जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

यूनिसेफ कार्रवाई :

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पिछली उपलब्धियों से संकेत मिलता है कि आरटीई द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों के आधार पर, यूनिसेफ बच्चों के अनुकूल स्कूलों और प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के जरिये देश भर में सरकार और समाज के अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सामुदायिक, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना जारी रखेगा।

यूनिसेफ सभी बच्चों की अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी स्कूली पढ़ाई पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनिसेफ बच्चों खासकर वंचित समूहों के बच्चों के विकास के स्तर में सुधार करने के लिये सही समय पर उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू कराने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा है। शैक्षिक गुणवत्ता, स्कूलों में छात्रों को बनाए रखने और उपलब्धि दर के संबंध में भी तकनीकी सहायता दी जाती है। यूनिसेफ शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता वाली

बुनियादी शिक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से लैंगिक और अन्य असमानताओं को कम करने के लिए भी काम कर रहा है। आपात स्थितियों में, यूनिसेफ प्रभावित आबादी की शिक्षा को दोबारा करने में मदद करता है।

मीडिया के प्रश्नों के जवाब और अधिक जानकारी के लिए :

एंजेला वाकर

प्रमुख, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप

फोन :91–98–1810–6093

ई मेल : awalker@unicef.org

एलिस्टेयर ग्रेटरसन

संचार विशेषज्ञ (अंतर्राष्ट्रीय मीडिया)

फोन :91–98–7153–5586

ई मेल : agretarsson@unicef.org

गीतांजलि मास्टर

संचार विशेषज्ञ

फोन :91–98–1810–5861

ई मेल : gmaster@unicef.org

सोनिया सरकार

संचार अधिकारी (भारतीय मीडिया)

फोन : 91–98–1017–0289

ई मेल : ssarkar@unicef.org